

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक / 1425 / 2016 / पी-2 / 31 भोपाल, दिनांक / / 2020

प्रति,

- (1) श्री बी.के.जैन,(से.नि.)
तत्का.अनुविभागीय अधिकारी,
सीप कोलार लिंक परियोजना,
कैप रेहटी, जिला सीहोर,म.प्र.
- (2) श्री जे.पी.श्रीवास्तव(से.नि.)
तत्का.उपयंत्री
जल संसाधन संभाग,सीहोर,म.प्र.
- (3) श्री बी.के.श्रीवास्तव,
तत्का.उपयंत्री
जल संसाधन संभाग,सीहोर,म.प्र.

द्वारा:-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

विषय:-विभागीय दण्डादेश के विरुद्ध अपील- श्री बी.के.जैन, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं अन्य
02

उपरोक्त विषयांतर्गत अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 09.11.2020 को 12:00 बजे समक्ष में सुनवाई नियत की गई है।

अतः आप उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग के समक्ष कक्ष क्रमांक डी-104 प्रथम तल, वल्लभ भवन क्रमांक-3, मंत्रालय, भोपाल में उपस्थित होकर, अपना पक्ष आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। आपकी अनुपस्थिति की दशा में यह मानते हुए की आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

(प्रमोद कुमार खरे)

अवर सचिव

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

भोपाल, दिनांक 06/11/2020

पृ. क्रमांक 694 / 1425 / 2016 / पी-2 / 31

प्रतिलिपि:-

- 1- निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2- प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल। कृपया अपने स्तर से संबंधित को सूचना पत्र तामील कराकर तामिली पावती विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 3- बेव मैनेजर (कार्यपालन यंत्री) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल कृपया आज ही विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग